भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 665
जिसका उत्तर बुधवार, 26 जून, 2019 को दिया जाना है

तीन तलाक विधेयक

665. श्री प्रसून बनर्जी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन तलाक विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या सरकार का इस विधेयक को पुनः लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार के पास निकाह, हलाला और बहु विवाह के विरुद्ध एक विधेयक लाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राज्य सभा में लंबित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018, सोलहवीं लोक सभा के विघटन के कारण व्यपगत हो गए थे ।

(ख) : मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 4) को प्रतिस्थापित करने के लिए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019, 21 जून, 2019 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ विवाहित मुस्लिम महिलाओं और बालकों के अधिकारों का संरक्षण करेगा और उनके पतियों द्वारा तीन तलाक की घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करेगा ।

(ग) : मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है ।

****